11-08-25

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी या प्रार्थी स्वंय उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगाने पर भी उपस्थित नही हुये। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अदम पैरवी - अदम हाजिरी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
RAS